


205

312

325
25-6-14

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म० प्र० राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म० प्र०



RS. 20/-

R. 2392-III/14

श्रीबदास पिता जमुना प्रसाद ब्रा० निवासी पुरवा, तहसील सेमरिया जिला रीवा म० प्र०

आवेदक

बनाम

1. मुस० सरस्वती देवी देवा जगदीश प्रसाद ब्रा०
2. श्रीनिवास तनय जगदीश प्रसाद ब्रा०
3. गोविन्दप्रसाद तनय जगदीश प्रसाद ब्रा०
4. मकरन्द प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद ब्रा०
5. ज्वाला प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद ब्रा०
6. सुरलीधर तनय जगदीश प्रसाद ब्रा०

बेवमुनि तनय जगदीश प्रसाद ब्रा०
बाबू प्रसाद तनय जमुना प्रसाद ब्रा०
उक्त सभी निवासी ग्राम पुरवा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा म० प्र०

अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी सहोदय तहसील सेमरिया, जिला रीवा म० प्र० के राजस्व प्र० क्र० 14अ6/अपील/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 31.5.2014 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० र० संविदा के अधीन निगरानी

पिपूषशील मिश्रा
25-6-14
सिडर
सर्किट ऑफ़ सेवा

क्रमांक 2373
सेमरिया में आज
राजस्व 25-7-14 को प्राप्त

25-7-14
राजस्व मंडल नया ग्वालियर
महोदय,

निगरानी के अन्तर्गत सक्षम तथ्य:-

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि क्रमांक 1332/2 के सम्बन्ध में एक बिक्री टीप वर्ष 1984 के पूर्व आवेदक एवं अनावेदकगणों के पक्ष में निष्पादित की गयी जिस बिक्री टीप के आधार पर जगदीश प्रसाद एवं जमुना प्रसाद, के मध्य आपसी बटनवारा हुआ उस बटनवारा के आधार पर आवेदित भूमि का अंशकवा नामान्तरण पंजी क्रमांक 2 आदेश दिनांक 1.10.84 को आवेदक के नाम नामान्तरण प्रमाणित

श्रीबदास
सुपरी
25/6/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0-2392-III/2014

जिला-रीवा

गरीबदास ब्रा0/सरस्वती देवी ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 14/अ-6/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

M

B. M. Sharma

(बी.एम.शर्मा),
सदस्य

Ag